# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:

दिनांक

01. श्रीमान प्राचार्य महोदय,
राजकीय महाविद्यालय (समस्त)
02. सहायक निदेशक (कोटा/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर/जयपुर)

विषय :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अंतर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय कार्यालयों के लिये आवश्यक मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अंतर्गत किया जाता है। इसके सम्बन्ध में वित्त (G&T) विभाग के पत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार की विभिन्न उपापन संस्थाओं के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं एवं संकर्मों के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों की पूर्ण पालना की जानी अनिवार्य है। उपापन संस्था द्वारा विभिन्न सेवाओं के सम्पादन में आवश्यकतानुसार मानव संसाधन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों में प्रावधित उपापन की विभिन्न रीतियों में से उपयुक्त रीति का चयन करते हुये किया जाएगा परन्तु प्लेसमेंट ऐजेन्सीज के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जाएगा। उक्त परिपत्र को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

—Sd—
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.24( लेखा/SPPP/प्रचल/CCE/19/3607 दिनांक 27.11.19

प्रतिलिपि :–

01. संयुक्त निदेशक (आई.टी. सेल) को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट के finance guide के ऑडिट सम्बन्धी tab पर अपलोड करावें।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर